प्रकरण संख्या 84/2021 कन्ना व अन्य बनाम श्रीमती कमला व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नंबर 2308, 2317, 2330, 2331 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादीया का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 से 8 का संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा, खातेदार पुरा पिता दला का 2/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। पुरा का निधन होकर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 10 से 12 हैं। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 2352 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा में वादीया का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से 1/6, लाला, वेणा पिता नवला का 2/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। लाला व वेणा का निधन होकर लाला के वारिस प्रतिवादी संख्या 6 से 9 एवं वेणा का वारिस प्रतिवादी 5 है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''स'' की आराजी नंबर 2302 से 2307, श.नं. 2312, आराजी नंबर 2319, 2328, 2335, 2343, 2349, 4049/2327 कुल किता 12 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादीया का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''द'' की आराजी नंबर 2309, 2316 कुल किता 2 रकबा 9 बिस्वा भूमि में वादीया का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 से 8 का संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा, खातेदार पुरा पिता दला का 2/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। पुरा का निधन होकर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 10 से 12 हैं। उपरोक्त समस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में संयुक्त	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:36 IST
Reason: SelfAttested

रूप से दर्ज है, लेकिन वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के मध्य उक्त आराजियात का अपने बाप–दादाओं के समय बंटवारा होकर वादिया अपने हिस्से पर काबिज है एवं भूमि को आवादान कर काश्त योग्य बनाया है तथा निरन्तर 40 वर्षो से निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। भूमि संयुक्त रूप से दर्ज होने से भूमि विकास में कठिनाई होती है इसलिए पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन कराया जावे तथा पृथक–पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकन करने की डिक्री फरमायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.06.2018 से वादिया का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 15.01.2020 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16.11.2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 व 13 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की तामिल अधिनस्थ न्यायालय में नहीं होने से उन्हें अंतिम डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 29.10.2021 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:36 IST
Reason: SelfAttested

अखण्डित शपथ पत्र, [illegible] तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर

अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट द्वारा एक वाद श्रीमती कमला, गोदा के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा था, जिसके प्रकरण संख्या 73/19 होकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.11.2021 नियत थी, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट का जवाबदावा आना बाकी था, उसके बावजूद भी रेस्पोन्डेन्ट कमला द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 29.06.2018 को प्रारम्भिक डिक्री कर दिया गया, जिसमें प्रतिवादीगण को जिरह का मौका ही नहीं दिया गया, न ही उनकी साक्ष्य ली गयी। प्रारम्भिक डिक्री अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं किया गया है, बंटवारा पूरी तरह से गलत बनाया गया है। मौका पर्चा पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना उन्हें सूचना दिये बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.12.2019 अनुसार प्राप्त पी.डी. पालना रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 5 गोदा द्वारा अपनी आपत्ति प्रकट की गयी है, जिस पर तहसीलदार को पुनः संशोधित बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया, किन्तु बिना संशोधित बंटवारा प्रस्ताव के सिर्फ वादी की उपस्थिति में प्रतिवादीगण को बिना पर्याप्त अवसर दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:36 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया का वाद एकतरफा डिक्री कर दिया गया, जिसमें सिर्फ वादिया का ही हिस्सा पृथक किया गया है, शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा शामिल रखा गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार किया जाकर यदि उस पर किसी पक्षकार की आपत्ति हो तो सर्व प्रथम उसका निस्तारण किया जाकर सभी पक्षकारों के मध्य विधि अनुसार विभाजन की डिक्री जारी की जावे।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.09.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:36 IST
Reason: SelfAttested